Press for certain reasons. The Council have intimated that it has initiated action to ascertain whether any manuscript has been lost or appropriated otherwise.

मूर्तियों और स्थापत्य अवशेषों की चोरी को रोकने के लिए कदम

3477. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत की सांस्कृतिक धरोहर से सम्बन्धित कितनी मूर्तियों और मन्दिरों के अवशेष चोरी छिपे विदेश ले जाये गये हैं;

(ख) सरकार द्वारा उन मूर्तियों और स्थापत्य अवशेषों की चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) मूर्तियों और स्थापत्य अवशेषों को वापस लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो तथा राजस्व आसूचना निदेशालय की उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत की सांस्कृतिक धरोहर से सम्बन्धित कुछेक मूर्तियां एवं मंदिरों के पुरातत्वीय अवशेष चोरी-छिपे भारत के बाहर ले जाए गए हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसी वस्तुओं की सूची विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राजस्व आसूचना निदेशालय, सीमा-शुल्क तथा राज्य सरकारों जैसी प्रवर्तित एजेन्सियों के परामर्श से पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को सख्ती से लागू करने के साथ-साथ सीमा-शुल्क निकासी स्थलों पर चौकसी बढ़ाने तथा गहन छानबीन करने के उपाय किए गए हैं ताकि पुरावशेषों की चोरी एवं उनकी तस्करी पर निगरानी रखी जा सके। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्तर्गत आने वाले चुनिंदा केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों एवं संग्रहालयों में सशस्त्र गार्ड तैनात किए गए हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में जांच एजेंन्सियों ने आवश्यक कदम उठाए हैं। तथापि वस्तुओं की पुनः वापसी की कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

विवरण

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आरोपों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 की एवं पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के खण्ड 3 की धारा 25(1) के तहत दिनांक 08.07.1993 को यह मामला सं० आ० सी० 1/93 एस० आई० यू०, XII दर्ज किया गया था कि सदर्न आर्ट्स, मद्रास ने पीसा, इटली को 34 भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं की एक खेप निर्यात की थी जिसे पीसा के सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा बीच में ही पकड़ लिया गया था जिसमें 19 पुरावशेष थे।

कुषाण काल के चार बलुई प्रस्तर स्तम्भ एवं उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के लोखारी गांव स्थित एक-योगिनी प्रतिमा यहां से लन्दन जाते समय पकड़ी गई।

डच सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा नवम्बर, 1997 में रोटरडम, नीदरलैंडस में कुछ वस्तुएं जिनके पुरावशेष होने का अंदेसा था, पकड़ी गई है। विशेषज्ञों द्वारा किए गए परीक्षण से सात वस्तुएं पुरावशेष निकली।

Photography Licences Granted by ASI

3478. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Archaeological Survey of India is granting photography licences for protected monuments at Agra to new photographers instead of renewal of licences to the existing 50 photographers in violation of High Court order which States that the authority concerned appears to be under wrong impression that licences cannot be renewed;

(b) if so, the reasons for not renewing the licences of existing 50 photographers; and

(c) the details of court cases and the judgements thereon till date on the basis of which the ASI are making an attempt to issue fresh licences to the photographers?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MONOHAR JOSHI): (a) and (b) In pursuance of directions of the